



फोन नं. (का.) 07692-220444

(नि.) 07692-220301

(फैक्स) 07692-220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,सिवनी(मप्र)

ज्ञापन

क्रमांक / 198 / सि0सूट / 2024
प्रति,

सिवनी, दिनांक 06/01/2024

रजिस्ट्रार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ,
राज्य सूचना आयोग भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल में प्रचलित प्रकरण ओ.ए. नं. 154/2023 (CZ) एवं (I.A. No. 120/2023) नवेन्दु मिश्रा विरुद्ध नगर पालिका परिषद् सिवनी एवं अन्य के संबंध में।

संदर्भ :- माननीय एनजीटी में पारित आदेश दिनांक 20/10/2023

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल में प्रचलित प्रकरण ओ.ए. नंबर 154/2023 (CZ) एवं (I.A. No. 120/2023) नवेन्दु मिश्रा विरुद्ध नगर पालिका परिषद् सिवनी एवं अन्य के संबंध में माननीय एनजीटी द्वारा दिनांक 20/10/2023 को पारित आदेशानुसार गठित कमेटी द्वारा दिनांक 29/11/2023 एवं 04/01/2024 को स्थल निरीक्षण किया गया। माननीय एनजीटी के आदेशानुसार अद्यतन स्थिति की जानकारी (एक्शन टेकन रिपोर्ट) संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(क्षितिज सिंघल)
कलेक्टर
सिवनी

पृ0क्रमांक / 198-A / सि0सूट / 2024
प्रतिलिपि:-

सिवनी, दिनांक

श्री नवेन्दु मिश्रा, अधिवक्ता, गिरजा कुण्ड, सुभाष वार्ड सिवनी की ओर सूचनाार्थ।

कलेक्टर
सिवनी

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL BENCH, BHOPAL**

Original Application No. 154/2023(CZ)

Navendu Mishra

Vs

Municipal Council of Seoni (M.P.) & Ors

Date of Inspection: 29.11.2023 & 04.01.2024

Committee members: -

- 1- One Representative from Collector Seoni (M.P.)
- 2- One representative of State Pollution Control Board (M.P.)

**Action Taken Report in compliance of order dated 20/10/2023 issued by
Hon'ble National Green Tribunal in the matter of O.A No. 154/2023 (CZ)
(Navendu Mishra Vs Municipal Council of Seoni (M.P.) & Ors)**

Hon'ble National Green Tribunal, Central Bench, Bhopal has issued the following direction on order dated 20/10/2023 in the matter of O.A No. 154/2023 (C.Z) Navendu Mishra Vs Municipal Council of Seoni (M.P.) & Ors: -

1. *The grievance of the applicant against the respondents are flouting the settled environmental principle and violating the norms by carrying out illegal permanent construction in Dalsagar Lake of Seoni City in Seoni District Madhya Pradesh, which is registered as wetland under wetlands protection and management rules 2017. The non applicant initiated the permanent construction of a foot over bridge between the land and the central island of Dalsagar Lake, Seoni City in District Seoni, M.P. to facilitate this construction, the Municipal Council dismantled the peripheral boundary of Dalsagar, to completely drain all the water. The Construction of this permanent foot over bridge is a gross violation of the wetland (protection and management) rules 2017, as Dalsagar lake comes under National Wetland List at number 1202.*
2. *A substantial issue of the environment has been raised.*
3. *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of: -*
 - i. *One representative from Collector, Seoni, M.P.*
 - ii. *One representative from the State Pollution Control Board, (M.P.).*
4. *The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*
5. *The report on the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*



In compliance of the Hon'ble NGT order dated 20/10/2023, the joint committee consisting below mentioned officers visited the site located in District Seoni (MP) on dated 29/11/2023.

- i. Ms. Sunita Khandayat ----- ADM Seoni, Dist.-Seoni (M.P.)
- ii. Shri Alok Kumar Jain -----Regional Officer M.P.P.C.B., Jabalpur (M.P.)
- iii. Mrs. Meena Dashriye-----Tehsildar Seoni
- iv. Shri Ram Kumar Kurveti----CMO Municipal Council, Seoni
- v. Shri Deepak Uikey-----Sub Engg. Municipal Council, Seoni
- vi. Shri Nuvendu Mishra-----Petitioner
- vii. Shri Mahesh Puraiya-----Junior Scientist, M.P.P.C.B.
- viii. Shri Jaikishan Sharma-----Sub Engg., M.P.P.C.B.

Background of the Site: -

Dal Sagar Lake also known as Dal Sagar Talab is a manmade lake. It is an inland lake situated in the heart of Seoni city having GPS coordinates as (latitude:22.2001, Longitude:79.4042). It has a total area of approximately 18.0 hectare. A small island is located in the middle of this lake. This lake falls under the jurisdiction of the Municipal council Seoni.

As per the National Wetland atlas prepared by Space Application Center, ISRO and maintained at VEDAS (Visualization of Earth Observation Data and Archival System) Portal, it is an inland manmade pond of area 17.5 Hectare and has wetland code 1202, which is also mentioned in the petition but it is not included in the state wetland list prepared by the state wetland authority.



As per the inventory of wetlands (>2.25 ha) of Seoni district (M.P.) prepared as per the guidelines for preparation of inventory of the wetlands (conservation and management) rules ,2017, it is an entry no. 53 with wetland code 234560394 having area 18.31 hectare and situated within the jurisdiction of Municipal Council Seoni. Though it is not a Ramsar Site as per the Ramsar convention.

Background of the Case: -

Municipal council Seoni came up with the plan to install a statue of 16th century Gond King Raja Dalpat Shah on the island. In order to connect the island with main land and for the ease of the visitors, a Foot Over Bridge (F.O.B.) Construction work was started at the site approximately six months ago. Subsequently a case was filed before the Hon'ble NGT.

Legal Provisions for the conservation and managements of the wetlands: -

Being a signatory of Ramsar convention, 1971, India has come up with the rules to preserve and regulate the wetland, so as to maintain their ecological characteristics. Subsequently, the MOEF&CC, New Delhi notified the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017 dated 26.09.2017 in official Gazette.

- As per the rule no. 4(2)(vi) of the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017 “any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty meters from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules”
- Also, as per the order of the Hon'ble SC in the case no. WP (civil) No. 230/2001 M.K. Balakrishnan vs Union of India dated 08.03.2022 and office memorandum issued by the GOI, all the wetlands situated within the respective district boundaries having area (> 2.25 hectare) shall be protected under rule no. 4 of the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017.
- In light of the aforementioned, it is proposed that wetlands larger than 2.25 hectares be conserved in accordance with Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017, Rule No. 4. Thus, the Dal Sagar Lake, which has a surface area of about 18 hectares, shall likewise be protected by the same regulation. Copy of wetland rules and office memorandum issued on date 08.03.2022 by MOEF&CC is enclosed as **Annexure 1 and 2.**

Field Observations: -

During the visit of committee various observations and statements were recorded as Panchnama, the “Sthal Nirikshan Panchnama” is enclosed as **Annexure 3.**

Point-wise facts based on the documents submitted, field observations and the public statements are as follows: -

- During the visit approximately 30% of the total wetland area was found to be filled with water. During inspection it seems that water would have been drained out for the purpose of construction of foot over bridge (F.O.B.)
- It was observed that, there is a vegetation/shrubs growth in the dried area of the lake post draining out.
- During the inspection, it was discovered that the lake had been fenced off.
- It was observed that the Municipal Council Seoni had given the permission and issued the tender to construct 385 m long F.O.B. connecting MPT chaupati and Central Island, on which a 25-foot stone statue of Gond king Raja Dalpat Shah would be constructed.
- An unmetalled road has been constructed parallel to the under-construction foot over bridge, connecting main land and Central Island.
- A twenty-five-foot statue of Raja Dalpat Shah was discovered during an inspection and will be erected on the island.
- It was noted that a cement concrete base for the statue's planned installation was being built.
- Since the construction of F.O.B. is a time taking process. Therefore, for the ease of transportation of materials to Central Island of lake, the Non applicant had constructed an unmetalled road parallel to the Under Construction F.O.B. connecting MPT chaupati and Central Island.
- During inspection it was found that a drain discharging untreated effluent directly meeting into the Dal Sagar Lake. Furthermore, small amounts of trash and plastic waste that originate from drains were observed near the lake and drain intersection.

- It was observed that municipal council seoni has not constructed any sewage treatment plant for seoni city till date.
- During the inspection, CMO Seoni submitted permission related documents and documents related to granted funds for the foot over bridge and statue, a copy of which is provided as **Annexure 4.**
- The committee has revisited the site on dated 04.01.2024, during inspection it has now been observed that the untreated water earlier meeting into lake has been stopped.

Technical details of F.O.B. as observed by the M.P.P.C.B.: -

- The aforesaid F.O.B. is a deck type bridge. It is of the length approximately 385 meters. It has 17 piers and 2 abutments. The construction work of F.O.B. is in process and all the piers have been raised.

Water sampling: - Following the committee's site inspection, a junior scientist from M.P.P.C.B. conducted the sampling and collected two samples, one from the drain and the other from the Talab. The important parameters of analysis report are as follows: -

Parameter	Unit	Sample 1: Accumulated water of Dal Sagar Lake	Sample 2: Drain meeting into Dal Sagar Lake
pH	-	7.51	7.29
D.O.	mg/l	5.80	-
B.O.D.	mg/l	4.40	34.0
Suspended Solids	mg/l	58.0	108.0
C.O.D.	mg/l	30.0	160.0
Dissolved Solids	mg/l	320.0	584.0

The analysis report showing various parameters is also being enclosed in as

Annexure 5.

Action taken by the M.P.P.C.B.: -

- The board had issued the notice on dated 24.11.2023, to the municipal council Seoni, to impose Environmental compensation for discharging untreated effluent in the lake. **Annexure 6.**
- A Criminal Court case has been filed under section 24, 25, 43 & 44 of water (prevention and control of pollution) Act, 1974 against Municipal council Seoni.

Recommendations: -

- Municipal council, Seoni shall construct Sewage treatment plant for the treatment of the domestic effluent of sufficient capacity.
- To improve the aesthetics and water quality of the lake, fountains shall be installed by the Municipal Council Seoni.
- Since the majority of the lake's surface is dry, the lake needs to be cleaned and desilted.
- Municipal council Seoni shall take effective steps for the rejuvenation of the lake.

Photographs along with coordinate recorded during inspection is enclosed as

Annexure 7


(Sunita Khandayat)
ADM Seoni
District-Seoni


(Alok Kumar Jain)
Regional Officer
M.P.P.C.B. Jabalpur


(Meena Dashriye)
Tehsildar Seoni
District-Seoni



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2017/आश्विन 4, 1939

No. 802]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2017/ASVINA 4, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1203(अ).—आर्द्रभूमि, जो जलीय चक्र का अत्यावश्यक भाग हैं, उच्चतर उत्पादक पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं जो समृद्ध जैवविविधता का आधार हैं तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भाग होने के कारण कई महत्वपूर्ण मनोरंजक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का समर्थन करते हुए जल भंडारण, जल शुद्धिकरण, बाढ़ अल्पीकरण, अपरदन नियंत्रण, भूजल का पुनःभरण, सूक्ष्म जलवायु का विनियमन, दृश्यभूमि के सौन्दर्य बौध को बढ़ाना जैसी पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करता है।

और, अधिकतर आर्द्रभूमि, अपवहन और भरणस्थान, प्रदूषण (घरेलू और औद्योगिक बहिःस्राव का निस्सारण, ठोस अपशिष्टों का निपटान), जल विज्ञान संबंधी परिवर्तन (जल अपनयन और अंतर्वाह तथा बहिवाह परिवर्तन) के माध्यम से भूमि सुधार और अवक्रमण के कारण गंभीर रूप से संकटस्थ स्थिति में हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप जैव विविधता की हानि और आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं में विघटन हुआ है;

और, संविधान के अनुच्छेद 51क के खंड (छ) में यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए एक व्यापक विधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आर्द्रभूमि और उससे जुड़े मामले भी सम्मिलित हैं।

और, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी सेवा को मान्यता दी गई है और सभी आर्द्रभूमि के लिए एक विनियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे उनकी ऐसी पारिस्थितिकी स्थिति को बनाए रखा जा सके, जो अंततोगत्वा उनके एकीकृत प्रबंध में सहायक हो;

और, भारत, आर्द्रभूमि संबंधी रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है, तथा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

और केन्द्रीय सरकार ने तारीख 4 दिसंबर, 2010 की सं.सा.का.नि. 951(अ) द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010, प्रकाशित किए हैं;

और आर्द्रभूमि का संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सारवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास आयोजना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्द्रभूमि जैवविविधता तथा पारिप्रणाली सेवाओं की पूर्ण शृंखला को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है;

और, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इसी प्रकार से अपने विकासात्मक कार्यक्रमों तथा आर्थिक कल्याण में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं और जैव विविधता संबंधी मूल्यों पर विचार करने और इस बात को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली के दो मुख्य पारिस्थितिकी घटक भूमि और जल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विषय के रूप में सूचीबद्ध हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने देश में आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को अधिकांत करना आवश्यक समझा है;

और, अब, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, सा.का.नि. 385 (अ) तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016 का प्रारूप प्रकाशित किया था; और यह सूचना दी गई थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको इस राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

और, केन्द्रीय सरकार को प्रारूप आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016 के संबंध में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों राज्यों और इसके संगठनों, व्यक्तियों और सिविल समाज संगठनों से सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त हुए हैं;

और, ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऊपर उल्लिखित प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त हुए हैं, पर राज्य सरकारों और राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 25 और धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकरण" से यथास्थिति राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, अभिप्रेत है;
- (ग) "समिति" से नियम 6 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति अभिप्रेत है;
- (घ) "पारिस्थितिकीय गुण" से पारिस्थितिकी प्रणाली घटकों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं का ऐसा संकलन अभिप्रेत है जो आर्द्रभूमियों की विशिष्टता चित्रित करता है;
- (ङ) "एकीकृत प्रबंधन योजना" से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें आर्द्रभूमि का युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्यनीतियों और कार्रवाइयों का वर्णन किया गया है तथा इस योजना में स्थल प्रबंधन के उद्देश्य; उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन कार्रवाइयां, वे घटक, जो विभिन्न स्थल विशिष्टताओं को प्रभावित करते हैं, या प्रभावित कर सकते हैं; पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए और प्रबंधन की प्रभाविता के मापन के लिए अपेक्षित मानीटरी और कार्यान्वयन प्रबंधन कार्यान्वयन के लिए संसाधन सम्मिलित हैं;
- (च) "रामसर अभिसमय" से 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि संबंधी अभिसमय अभिप्रेत है;
- (छ) "आर्द्रभूमि से कोई क्षेत्र या कच्छ पंक, पीटभूमि या जल; प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, जल जो ठहरा है या बहते, ताजे, खारे या लवणीय, जिसके अंतर्गत समुद्री जल का जिसकी गहराई ज्वार की स्थिति छह मीटर से अधिक की न हो अभिप्रेत है, परंतु इसमें नदी जल मार्ग, धान के खेत, पेयजल प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से मानव निर्मित जल निकाय/जलाशय, मत्स्यपालन, नमक उत्पादन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं;

- (ज) "आर्द्रभूमि परिसर" से दो या दो से अधिक पारिस्थितिकीय और जलीय समीपस्थ आर्द्रभूमियां तथा जिनमें उनसे जुड़े नाले/वाहिकाएं सम्मिलित हो सकती हैं, अभिप्रेत हैं;
- (झ) "आर्द्रभूमियों का युक्तियुक्त उपयोग" से सतत विकास के संदर्भ में पारिप्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त पारिस्थितिकीय गुणों का रख-रखाव अभिप्रेत है;
- (ञ) "प्रभावित जोन" से आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमि परिसर के आवाह-क्षेत्र का वह भाग जिस पर विकासात्मक कार्यकलापों के कारण पारिप्रणाली ढांचे, तथा पारिप्रणाली सेवाओं में प्रतिकूल परिवर्तन पड़ता है।
- (2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. नियमों का लागू होना.—ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों को लागू होंगे, अर्थात्:-

- (क) रामसर अभिसमय के अधीन 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' के रूप में वर्गीकृत आर्द्रभूमियां;
- (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित आर्द्रभूमियां।

परंतु ये नियम समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, राज्य वन अधिनियम तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पड़ने वाली आर्द्रभूमियों को लागू नहीं होंगे।

4. आर्द्रभूमियों में क्रियाकलापों पर निर्बंधन.—(1) आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंध, आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित 'युक्तियुक्त उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।

(2) आर्द्रभूमि के भीतर, निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर-आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन;
- (ii) किसी उद्योग को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना;
- (iii) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निपटान; परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाला ई-अपशिष्ट;
- (iv) ठोस अपशिष्ट का पाटन;
उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्रावों का निस्सारण;
- (v) किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण सिवाय नाव घाटों के, पचास मीटर के भीतर इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ़ के औसतन उच्च स्तर से गणना की जाएगी; और
- (vi) अवैध शिकार।

परंतु केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी कार्यकलाप के विलोपन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी।

5. आर्द्रभूमि प्राधिकरण.—(1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) राज्य सरकार के पर्यावरण/वन विभाग का भारसाधक मंत्री या आर्द्रभूमि के विषय से संबंधित कार्य कर रहे भारसाधक मंत्री - अध्यक्ष;
- (ii) राज्य का मुख्य सचिव या समतुल्य अपर मुख्य सचिव - उपाध्यक्ष;
- (iii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (iv) वन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (v) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vi) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vii) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

- (viii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (x) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (xi) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (xii) निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र – पदेन सदस्य;
- (xiii) मुख्य वन्यजीव वार्डन – पदेन सदस्य;
- (xiv) सदस्य सचिव, राज्य जैवविविधता बोर्ड – पदेन सदस्य;
- (xv) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – पदेन सदस्य;
- (xvi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक – पदेन सदस्य;
- (xvii) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और
- (xviii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमियों से संबंधित विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।
- (2) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
- (i) संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या मुख्य सचिव – अध्यक्ष;
- (ii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव – उपाध्यक्ष;
- (iii) वन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (iv) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (v) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (vi) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (ix) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (x) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (xi) निदेशक, सुदूर संवेदी केन्द्र - पदेन सदस्य;
- (xii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति - पदेन सदस्य;
- (xiii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड - पदेन सदस्य;
- (xiv) मुख्य वन्यजीव वार्डन - पदेन सदस्य;
- (xv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - पदेन सदस्य;
- (xvi) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल-विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों से एक-एक विशेषज्ञ जिसे संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और
- (xvii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमि हथालन विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।
- (3) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, तीन से अधिक, यदि अपेक्षित हों, अन्य सदस्यों, का सह-चयन, कर सकेंगे।
- (4) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—
- (क) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना;
- (ख) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना; अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार/अधिसूचित आर्द्रभूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना;

- (ग) इन नियमों के अधीन विनियमन हेतु उनके संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना;
- (घ) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिजिटल सूची तैयार करना और उक्त प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित की जाने वाले डेडीकेटिड वेब पोर्टल पर इसे अपलोड करना; और इस सूची को प्रत्येक दस वर्ष में अद्यतन किया जाएगा;
- (ङ) अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तृत सूची विकसित करना;
- (च) विनिर्दिष्ट आर्द्रभूमियों के लिए प्रतिषिद्ध कार्यकलापों की सूची में बढोतरी, यदि कोई हो, की सिफारिश करना;
- (छ) आर्द्रभूमियों की अधिकारिता के भीतर उनके संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्यनीतियां पारिभाषित करना; यदि पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों (जल भण्डारण, भू-जल संभरण, बाढ़-प्रतिरोधक जैसे) और मूल्य (मनोरंजन और सांस्कृतिक जैसे) का अनुरक्षण किया जाता है या उसमें अभिवृद्धि की जाती है; तो इन पारिस्थितिक प्रणाली को प्रबंधित करने के लिए एक सिद्धांत, जो संरक्षण के साथ संगत वहनीय उपयोगों को समावेशित करता है (जैसे जीवन-निर्वाह स्तर हेतु मछली पकड़ना या जलीय वनस्पति की पैदावार करना) का विवेकपूर्ण उपयोग करना;
- (ज) प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन करना (केन्द्रीय सरकार के समन्वयन से सीमा-पारीय आर्द्रभूमियों सहित), और इन योजनाओं के भीतर आर्द्रभूमियों, जो पारिस्थितिकीय स्वरूप के अनुकूल हैं, के पारम्परिक उपयोगों को जारी रखना और उसमें समर्थन देने पर विचार करना;
- (झ) उन मामलों में, जहां अधिसूचित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों की सीमा के भीतर भूमि क्षेत्र का निजी भू-धारण अधिकार है, उन्हें बढावा देने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्वरूप को बनाये रखने के लिए कार्यतंत्रों हेतु सिफारिश करना;
- (ञ) विद्यमान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के अभिसरण के लिए कार्यतंत्रों की पहचान करना;
- (ट) इन नियमों और अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और अर्द्ध-वार्षिक आधार पर (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जून और दिसम्बर पर) एक सूचना तंत्र के माध्यम से ऐसी अधिसूचित आर्द्रभूमियों की स्थिति पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केन्द्रीय सरकार को सूचना देना;
- (ठ) विभिन्न संगत विभागों और अन्य संबंधित अभिकरणों के माध्यम से युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वयन करना;
- (ड) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के भीतर सभी आर्द्रभूमि विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;
- (ढ) संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निदेश जारी करना;
- (ण) आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में पणधारियों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता के संवर्धन हेतु उपाय करना; और
- (त) स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य मामले पर सलाह देना।
- (5) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का संबंधित विभाग, प्राधिकरण के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा।
- (6) प्राधिकरण, इन नियमों के प्रकाशन के नब्बे दिन के भीतर :
- (क) संक्षिप्त दस्तावेजों और प्रबंध योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने के लिए एक तकनीकी समिति का, और
- (ख) जनता द्वारा प्राधिकरण को की गई शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रेषित करने के लिए एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराने हेतु चार सदस्यों से मिलकर बनी एक शिकायत समिति का गठन करेगा।
- (7) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट समितियां अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेंगी।
- (8) प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी।
- (9) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर-अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष की अवधि का होगा।

6. **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन.**—(1) केन्द्रीय सरकार, एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—
- (i) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष;
 - (ii) आर्द्रभूमि संबंधी कार्य देख रहे विशेष सचिव या अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – उपाध्यक्ष;
 - (iii) अपर महानिदेशक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (iv) आर्द्रभूमियों संबंधी कार्य देख रहे सलाहकार या संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – पदेन सदस्य;
 - (v) संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (vi) संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (vii) संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (viii) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (ix) संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य;
 - (x) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य;
 - (xi) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - पदेन सदस्य;
 - (xii) निदेशक, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;
 - (xiii) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;
 - (xiv) निदेशक, अंतरिक्ष अनुप्रयुक्ति केंद्र, अहमदाबाद या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;
 - (xv) सदस्य केन्द्रीय जल आयोग - पदेन सदस्य;
 - (xvi) सलाहकार, नीति आयोग - पदेन सदस्य;
 - (xvii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के तीन प्रतिनिधि, चक्रानुक्रम आधार पर, प्रत्येक दो वर्ष के कार्यकाल के लिए;
 - (xviii) आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी क्षेत्र, भू-दृश्य योजना और सामाजिक अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में से प्रत्येक का एक-एक विशेषज्ञ; और
 - (xix) आर्द्रभूमि से संबंधित कार्य करने वाले निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य सचिव।
- (2) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति, यदि अपेक्षित हो, तीन से अनधिक अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी।
- (3) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—
- (क) आर्द्रभूमियों के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए समुचित नीतियों और कार्रवाई सम्बन्धी कार्यक्रमों के विषय में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;
 - (ख) आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंधन के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के सिद्धान्त पर आधारित मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;
 - (ग) प्राधिकरण द्वारा इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना;
 - (घ) नियम 4 के उप नियम (2) में यथानिर्दिष्ट प्रतिषेधित क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्तावों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;
 - (ङ.) रामसर अभिसमय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को अभिहित किये जाने की सिफारिश करना;
 - (च) अधिसूचित किये जाने के लिए सीमापार आर्द्रभूमियों की सिफारिश करना;
 - (छ) रामसर स्थलों और सीमापार आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंध की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;
 - (ज) आर्द्रभूमियों से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के समन्वय के संबंध में सलाह देना; और
 - (झ) किसी अन्य मामले पर स्वप्रेरणा से सलाह देना या केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करना।

- (4) समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को कार्यकाल तीन वर्ष से अनधिक का नहीं होगा।
- (5) समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
7. **राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन.**—(1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का सम्बद्ध विभाग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचित किये जाने हेतु अभिज्ञात प्रत्येक आर्द्रभूमि के लिए एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उपबंध होगा:—
- (क) निर्देशांकों सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमि का सीमांकन;
- (ख) इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में संकेतित उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र;
- (ग) पारिस्थितिक-स्वरूप का विवरण;
- (घ) पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा;
- (ङ.) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्त स्थल-विशिष्ट क्रियाकलाप की सूची;
- (च) आर्द्रभूमि और उसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल-विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची; और
- (छ) विनियमों के प्रवर्तन की रीति;
- (2) प्राधिकरण, संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को सिफारिश करेगा।
- (3) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की गयी सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर राजपत्र में आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करेगी।
- (4) (क) केन्द्रीय सरकार सीमा-पार आर्द्रभूमियों के मामले में, संक्षिप्त दस्तावेज, जिसमें उप-नियम (1) में यथा सूचीबद्ध सूचना दी गई हो, को तैयार करने में संबद्ध राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी।
- (ख) संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी।
- (ग) केन्द्रीय सरकार संबद्ध और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर आर्द्रभूमियों को राजपत्र में अधिसूचित करेगी।
- (5) (क) केन्द्रीय सरकार आर्द्रभूमियों से संबंधित सूचना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का सृजन करेगी।
- (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी अधिकारिता में की आर्द्रभूमियों के विषय में, सभी संबंधित सूचना अपलोड करेगी।

[फा. सं. जे-22012/78/2003-सीएस(डब्ल्यू) पार्ट.V]

डॉ. ए. दुरैसामी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2017

G.S.R. 1203(E).—Whereas the wetlands, vital parts of the hydrological cycle, are highly productive ecosystems which support rich biodiversity and provide a wide range of ecosystem services such as water storage, water purification, flood mitigation, erosion control, aquifer recharge, microclimate regulation, aesthetic enhancement of landscapes while simultaneously supporting many significant recreational, social and cultural activities, being part of our rich cultural heritage;

And whereas many wetlands are threatened by reclamation and degradation through drainage and landfill, pollution (discharge of domestic and industrial effluents, disposal of solid wastes), hydrological alteration (water withdrawal and changes in inflow and outflow), over-exploitation of their natural resources resulting in loss of biodiversity and disruption in ecosystem services provided by wetlands;

And whereas clause (g) of article 51A of the Constitution stipulates that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures;

And whereas the Environment (Protection) Act, 1986 is a comprehensive legislation to provide protection and improvement of the environment, including *inter-alia*, wetlands, and for matters connected therewith;

And whereas the National Environment Policy, 2006 recognises the ecosystem services provided by wetlands and emphasizes the need to set up a regulatory mechanism for all wetlands so as to maintain their ecological character, and ultimately support their integrated management;

And whereas India is a signatory to the Ramsar Convention on Wetlands and is committed to conservation and wise use of all wetlands within its territory;

And whereas the Central Government has published the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, vide number G.S.R. 951(E), dated the 4th December, 2010;

And whereas conservation and wise use of wetlands can provide substantial direct and indirect economic benefits to state and national economy, and thereby the Central Government stands committed to mainstreaming full range of wetland biodiversity and ecosystem services in development planning and decision making for various sectors;

And whereas the State Governments and Union Territory Administrations need to take into account wetland ecosystem services and biodiversity values likewise within their developmental programming and economic well-being, also taking into cognizance that land and water, two major ecological constituents of wetland ecosystems, are enlisted as State subjects as per the Constitution;

And whereas the Central Government considered it necessary to supersede the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 for effective conservation and management of wetlands in the country;

And whereas the Central Government had, in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, published the draft Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016, vide number G.S.R. 385 (E) dated 31st March, 2016 for information of the public likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette notification is made available to the public;

And whereas the Central Government has received the suggestions and objections from the State Governments, Union Territories and its organisations, individuals and civil society organisations on the draft Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016;

And whereas the suggestions and objections received in response to the above mentioned draft rules have been duly considered by the Central Government in consultation with State Governments and Union Territory Administrations.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 and section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in supersession of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for conservation and management of wetlands, namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.
- (2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986;
 - (b) "Authority" means the State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority, as the case may be;

- (c) "Committee" means the National Wetlands Committee referred to in rule 6;
 - (d) "ecological character" means the sum of ecosystem components, processes and services that characterise the wetlands;
 - (e) "integrated management plan" means a document which describes strategies and actions for achieving wise use of the wetland and the plan shall include objectives of site management; management actions required to achieve the objectives; factors that affect, or may affect, the various site features; monitoring requirements for detecting changes in ecological character and for measuring the effectiveness of management; and resources for management implementation;
 - (f) "Ramsar Convention" means the Convention on Wetlands signed at Ramsar, Iran in 1971;
 - (g) "wetland" means an area of marsh, fen, peatland or water; whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters, but does not include river channels, paddy fields, human-made water bodies/tanks specifically constructed for drinking water purposes and structures specifically constructed for aquaculture, salt production, recreation and irrigation purposes;
 - (h) "wetlands complexes" means two or more ecologically and hydrologically contiguous wetlands and may include their connecting channels/ducts;
 - (i) "wise use of wetlands" means maintenance of their ecological character, achieved through implementation of ecosystem approach within the context of sustainable development;
 - (j) "zone of influence" means that part of the catchment area of the wetland or wetland complex, developmental activities in which induce adverse changes in ecosystem structure, and ecosystem services.
- (2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Applicability of rules.—These rules shall apply to the following wetlands or wetlands complexes, namely:—

- (a) wetlands categorised as 'wetlands of international importance' under the Ramsar Convention;
- (b) wetlands as notified by the Central Government, State Government and Union Territory Administration:

Provided that these rules shall not apply to the wetlands falling in areas covered under the Indian Forest Act, 1927, the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Forest (Conservation) Act, 1980, the State Forest Acts, and the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 as amended from time to time.

4. Restrictions of activities in wetlands.—(1) The wetlands shall be conserved and managed in accordance with the principle of 'wise use' as determined by the Wetlands Authority.

- (2) The following activities shall be prohibited within the wetlands, namely,-
 - (i) conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;
 - (ii) setting up of any industry and expansion of existing industries;
 - (iii) manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms Genetically engineered organisms or cells, 1989 or the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008; electronic waste covered under the E-Waste (Management) Rules, 2016;
 - (iv) solid waste dumping;
 - (v) discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities, towns, villages and other human settlements;
 - (vi) any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules; and,
 - (vii) poaching.

Provided that the Central Government may consider proposals from the State Government or Union Territory Administration for omitting any of the activities on the recommendation of the Authority.

5. Wetlands Authorities.—(1) The Central Government hereby constitutes the State Wetlands Authority in each State with the following members, namely:—

- (i) Minister In-charge of the Department of Environment/Forests of the State Government or Minister In-charge of the Department handling wetlands - Chairperson;
- (ii) Chief Secretary of the State or Additional Chief Secretary equivalent - Vice Chairperson;
- (iii) Secretary in-charge of the Department of Environment - Member *ex-officio*;
- (iv) Secretary in-charge of the Department of Forests - Member *ex-officio*;
- (v) Secretary in-charge of the Department of Urban Development - Member *ex-officio*;
- (vi) Secretary in-charge of the Department of Rural Development - Member *ex-officio*;
- (vii) Secretary in-charge of the Department of Water Resources - Member *ex-officio*;
- (viii) Secretary in-charge of the Department of Fisheries - Member *ex-officio*;
- (ix) Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control - Member *ex-officio*;
- (x) Secretary in-charge of the Department of Tourism - Member *ex-officio*;
- (xi) Secretary in-charge of the Department of Revenue - Member *ex-officio*;
- (xii) Director, State Remote Sensing Centre - Member *ex-officio*;
- (xiii) Chief Wildlife Warden - Member *ex-officio*;
- (xiv) Member Secretary, State Biodiversity Board - Member *ex-officio*;
- (xv) Member Secretary, State Pollution Control Board - Member *ex-officio*;
- (xvi) Additional Principal Chief Conservator of Forests of the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member *ex-officio*;
- (xvii) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning and socio-economics to be nominated by the State Government; and
- (xviii) Additional Secretary/Joint Secretary/Director in the Department of Environment/Forests or Department handling wetlands - Member Secretary.

(2) The Central Government hereby constitutes the Union Territory Wetlands Authority for each Union Territory with the following members, namely:—

- (i) Administrator or Chief Secretary of the Union Territory - Chairperson;
- (ii) Secretary in-charge of the Department of Environment - Vice Chairperson;
- (iii) Secretary in-charge of the Department of Forests - Member *ex-officio*;
- (iv) Secretary in-charge of the Department of Urban Development - Member *ex-officio*;
- (v) Secretary in-charge of the Department of Rural Development - Member *ex-officio*;
- (vi) Secretary in-charge of the Department of Water Resources - Member *ex-officio*;
- (vii) Secretary in-charge of the Department of Fisheries - Member *ex-officio*;
- (viii) Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control - Member *ex-officio*;
- (ix) Secretary in-charge of the Department of Tourism - Member *ex-officio*;
- (x) Secretary in-charge of the Departments of Revenue - Member *ex-officio*;
- (xi) Director, Remote Sensing Centre - Member *ex-officio*;
- (xii) Member Secretary, Union Territory Pollution Control Committee - Member *ex-officio*;

- (xiii) Member Secretary, Biodiversity Board of the UT - Member *ex-officio*;
 - (xiv) Chief Wildlife Warden - Member *ex-officio*;
 - (xv) Additional Principal Chief Conservator of Forests of the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change- Member *ex-officio*;
 - (xvi) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning and socio-economics to be nominated by the Union Territory Administration; and
 - (xvii) Additional Secretary/Joint Secretary/Director in the Department of Environment/Forests or Department handling wetlands - Member Secretary.
- (3) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.
- (4) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-
- (a) prepare a list of all wetlands of the State or Union Territory within three months from the date of publication of these rules;
 - (b) prepare a list of wetlands to be notified, within six months from the date of publication of these rules; taking into cognizance any existing list of wetlands prepared/notified under other relevant State Acts;
 - (c) recommend identified wetlands, based on their Brief Documents, for regulation under these rules;
 - (d) prepare a comprehensive digital inventory of all wetlands within a period of one year from the date of publication of these rules and upload the same on a dedicated web portal to be developed by the Central Government for the said purpose; the inventory to be updated every ten years;
 - (e) develop a comprehensive list of activities to be regulated and permitted within the notified wetlands and their zone of influence;
 - (f) recommend additions, if any, to the list of prohibited activities for specific wetlands;
 - (g) define strategies for conservation and wise use of wetlands within their jurisdiction; wise use being a principle for managing these ecosystems which incorporates sustainable uses (such as capture fisheries at subsistence level or harvest of aquatic plants) as being compatible with conservation, if ecosystem functions (such as water storage, groundwater recharge, flood buffering) and values (such as recreation and cultural) are maintained or enhanced;
 - (h) review integrated management plan for each of the notified wetlands (including trans-boundary wetlands in coordination with Central Government), and within these plans consider continuation and support to traditional uses of wetlands which are harmonized with ecological character;
 - (i) in cases wherein lands within boundary of notified wetlands or wetlands complex have private tenancy rights, recommend mechanisms for maintenance of ecological character through promotional activities;
 - (j) identify mechanisms for convergence of implementation of the management plan with the existing State/Union Territory level development plans and programmes;
 - (k) ensure enforcement of these rules and other relevant Acts, rules and regulations and on half-yearly basis (June and December of each calendar year) inform the concerned State Government or Union Territory Administration or Central Government on the status of such notified wetlands through a reporting mechanism;
 - (l) coordinate implementation of integrated management plans based on wise use principle through various line departments and other concerned agencies;
 - (m) function as nodal authority for all wetland specific authorities within the State or Union Territory Administration;
 - (n) issue necessary directions for conservation and sustainable management of wetlands to the respective implementing agencies;

- (o) undertake measures for enhancing awareness within stakeholders and local communities on values and functions of wetlands; and
- (p) Advise on any other matter *suo-motu*, or as referred by the State Government/Union Territory Administration.
- (5) The concerned Department of the State Government or Union Territory shall provide all necessary support and act as nodal Department and Secretariat to the Authority.
- (6) The Authority shall, within ninety days of publication of these rules, shall constitute,—
 - (a) a technical committee to review brief documents, management plans and advise on any technical matter referred by the Wetland Authority; and
 - (b) a grievance committee consisting of four members to provide a mechanism for hearing and forwarding the grievances raised by public to the Authority;
- (7) The Committees referred to in sub-rule (6) shall meet at least once in every quarter to perform their functions.
- (8) The Authority shall meet at least thrice in a year.
- (9) The term of non-official members of the Authority nominated by State Government or Union Territory Administration, shall be for a period not exceeding three years.

6. Constitution of National Wetlands Committee.—(1) The Central Government, hereby constitutes the National Wetlands Committee with the following members, namely:—

- (i) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Chairperson;
- (ii) Special Secretary or Additional Secretary dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India-Vice Chairperson;
- (iii) Additional Director General, Wildlife, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Member *ex-officio*;
- (iv) Adviser or Joint Secretary dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member *ex-officio*;
- (v) Joint Secretary, Ministry of Tourism, Government of India- Member *ex-officio*;
- (vi) Joint Secretary , Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India- Member *ex-officio*;
- (vii) Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India- Member *ex-officio*;
- (viii) Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India- Member *ex-officio*;
- (ix) Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India- Member *ex-officio*;
- (x) Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India- Member *ex-officio*;
- (xi) The Chairman, Central Pollution Control Board - Member *ex-officio*;
- (xii) Director, Zoological Survey of India or Scientist F- Member *ex-officio*;
- (xiii) Director, Botanical Survey of India or Scientist F- Member *ex-officio*;
- (xiv) Director, Space Application Centre, Ahmedabad or Scientist F- Member *ex-officio*;
- (xv) Member, Central Water Commission - Member *ex-officio*;
- (xvi) Adviser, Niti Aayog - Member *ex-officio*;
- (xvii) Three representatives of State Government or Union Territory Administration on a rotational basis for a tenure of two years each;
- (xviii) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning & socio-economics; and

- (xix) Director/Additional Director/Joint Director dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member Secretary.
- (2) The National Wetlands Committee may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.
- (3) The National Wetlands Committee shall perform the following functions, namely:-
- advise the Central Government on appropriate policies and action programmes for conservation and wise use of wetlands;
 - evolve norms and guidelines for integrated management of wetlands based on wise use principle;
 - monitor implementation of these rules by the Authority;
 - advise the Central Government on proposals received from State Governments or Union Territory Administrations for omission of the prohibited activities as referred in sub-rule (2) of rule 4;
 - recommend designation of wetlands of international importance under Ramsar Convention;
 - recommend trans-boundary wetlands for notification;
 - review progress of integrated management of Ramsar sites and transboundary wetlands;
 - advise on collaboration with international agencies on issues related to wetlands; and
 - advise on any other matter *suo-moto*, or as referred by the Central Government.
- (4) The tenure of non-official members of the Committee shall not exceed three years.
- (5) The Committee shall meet at least once in every six months.

7. Delegation of powers and functions to the State Governments and Union Territory Administrations.—

- (1) The concerned Department of the State Government or Union Territory Administration shall, within a period of one year from the date of publication of these rules, prepare a Brief Document for each of the wetland identified for notification, providing:—
- demarcation of wetland boundary supported by accurate digital maps with coordinates and validated by ground truthing;
 - demarcation of its zone of influence and land use and land cover thereof indicated in a digital map;
 - ecological character description;
 - account of pre-existing rights and privileges;
 - list of site-specific activities to be permitted within the wetland and its zone of influence;
 - list of site specific activities to be regulated within the wetland and its zone of influence; and
 - modalities for enforcement of regulation;
- (2) Based on the Brief Document, the Authority shall make recommendations to the State Government or Union Territory Administration for notifying the wetlands.
- (3) The State Government or Union Territory Administration shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette, within a period not exceeding 240 days from the date of recommendation by the Authority.
- (4) (a) In case of trans-boundary wetlands, the Central Government shall coordinate with concerned State Governments and Union Territory Administrations to prepare the Brief Document containing information as listed in sub-rule (1).
- (b) Based on the Brief Document, the National Wetlands Committee shall make recommendations to the Central Government for notification of the wetland.
- (c) The Central Government shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette, within a period not exceeding 240 days from the date of recommendation by the Committee.

- (5) (a) The Central Government shall create a dedicated web portal for information relating to wetlands.
- (b) The Central Government, State Government and Union Territory Administration shall upload all relevant information and documents pertaining to wetlands in their jurisdiction.

[F. No. J-22012/78/2003-CS (W) Pt. V]

Dr. A. DURAISAMY, Scientist 'G'

F. No. W-4/4/2022-WTL
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(Wetlands Division)

Indira Paryavaran Bhawan
 Jor Bagh Road, New Delhi -110003

Dated 8th March, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Protection of Wetlands as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017

The Hon'ble Supreme Court vide Order dated 4th October, 2017 in W.P. (C) No. 230 of 2001 has inter-alia, directed that, *"We make it clear and reiterate that in terms of our order dated 8th February, 2017, 2,01,503 wetlands that have been mapped by the Union of India should continue to remain protected on the same principles as were formulated in Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010"*.

2. The same has been communicated by this Ministry to all the States and UTs in November, 2017. Hon'ble NGT has also reiterated the same in various recent cases.

3. In view of above, it is once again clarified/reiterated that the 2,01,503 wetlands (>2.25 ha) as per the National Wetland Inventory and Assessment (NWIA), 2011 should be protected as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017. This protection is irrespective of the applicability of/notification as per the said Rules.

Ramesh
 (Dr. M. Ramesh)
 Scientist 'E'
 Tel.: 011-20819249
 Email: ramesh.motipalli@nic.in

To
 The Member Secretaries of State and UT Wetlands Authorities

स्थल निरीक्षण पंचनामा

Annexure-3

आज दिनांक 29/11/2023 को, माननीय स.मं.जी.टी. द्वारा प्रकरण सं. 154/2023 के तहत गठित समिति द्वारा डाल सागर तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-


154/2023 के तहत गठित समिति द्वारा डाल सागर तालाब का

निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-

1. सुश्री सुनीता खोसायत, अपर कलेक्टर सिवनी
2. श्री अलोक कुमार जैन, क्षेत्रीय अधिकारी, क.प्र.प्र.वि.के. जलपुर
3. श्री राम कुमार कुर्वेता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सिवनी
4. श्री दीपक उड्डे, उपयंत्री, नगर पालिका सिवनी
5. श्रीमती मीना दशरथी, तस्सीलदार, सिवनी
6. श्री जयशिवम शर्मा, उपयंत्री, क.प्र.प्र.वि.के. जलपुर
7. श्री अशोक फेलज, स.पं.त्री, क.प्र.प्र.वि.के. जलपुर
8. श्री नवेन्दु मिश्रा, शिकायतकर्ता

निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य पये गए-

1. Foot over bridge का कार्य प्रगति पर पाया गया (बायु से मेनरोड तक)
2. मुख्य सड़क से टाउ लु F.O.B. के समानांतर कच्ची सड़क का निर्माण किया गया जाया गया।
3. तालाब का पानी, निर्माण कार्य हेतु निकाला गया, जिसके लिए तालाब के पछ किनारे (side) लेडा गया।
4. सिवनी शहर के एक गंदे/दूषित पानी के नाले को डाल सागर तालाब में धुवठ किया गया तथा निरीक्षण के दौरान दूषित पानी तालाब में मिलता हुआ पाया गया।
5. निरीक्षण के दौरान लगभग 300. अंश में पानी तथा शेष भाग में सरपत्कार एवं उपस्थिति जायी गयी।
6. तालाब के मध्य में स्थित टाउ पर मूर्ति को स्थापित करके हेतु C.C. डाब का निर्माण हुआ, पाया गया। जिस पर 16th अलाबी के गेड वास्कर राजा फलपत साह की मूर्ति स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।



 29.11.2023


 29/11/23

 P.T.O. 24


7. निरीक्षण के दौरान नाले तथा तालाब के जल नमूने स्वतंत्र
डिप गरह । दिल्ली परीक्षण बोर्ड की क्षेत्रीय कार्यालय की
प्रयोगशाला में किया जाएगा।



R.O.


SE
N.P. Seemi


29.11.2023
नवेन्द्र (मिस्टर)


29/11/23
Teh. Seemi



29/11/23



K. K. Kulkarni



Jaini
SE.


पंचनामा


आज दिनांक 23/11/2023 को सिवनी नगर में स्थित
डेली सोगर तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के
दौरान तालाब के बीच स्थित टापू में क्षति निमति का
कार्य किया जा रहा है, तथा टापू पर आवागमन के
लिए फुट ओवर ब्रिज (F.O.B.) का निमति का कार्य
जारी था। टापू पर जलने हेतु तालाब के पानी को खाली
किया गया तथा इसमें अस्थायी कुच्ची झड़क का निमति,
तालाब के बीचों-बीच किया गया। निरीक्षण के दौरान
मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री आर.के. कुस्वैली द्वारा
बताया गया कि नाले के डायवर्सन के लिए पूर्व में
नाले के ऊपर फिर गए अतिक्रमण को हटाकर पानी की
निकासी हेतु नए नाले के निमति हेतु निविदा जारी कर
कार्य को कराए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में नाले को
अस्थायी रूप से तालाब की ओर डायवर्ट किया गया है।
यह कार्य जुलाई 2023 से किया जा रहा है। वर्तमान में
तालाब के कुछ भाग में पानी एकत्रित हुआ पाया गया तथा
तालाब में चारों ओर वनस्पति पायी गई। निरीक्षण के दौरान
तालाब में स्थित रहे पानी के सेपल एकत्रित किये गए।


23/11/23


23/11/23


23/11/23


23/11/23


S.K. Jilani



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग, जबलपुर
 (जे०डी०ए०बिल्डिंग, नागपुर रोड, मदनमहल जबलपुर-482001, फोन नं० 0761-2426531, 2429931, ई-मेल ddjabalpur@mpurban.gov.in /eejabalpur@mpurban.gov.in)

क्रमांक / 4269 / यां०प्र० / तक.स्वी. / 2020
 प्रति.

जबलपुर, दिनांक 31/12/2020

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद सिवनी
 जिला - सिवनी

विषय :- प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति बाबत।
 संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 3951 दिनांक 30/12/2020

उपरोक्त विषयांकित एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित निर्माण कार्य के प्राक्कलनों की प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है :-


क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	अनुशंसा राशि
1	नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत दलसागर तालाब के टापू के लिए एप्रोच फूट ब्रिज के निर्माण कार्य	रु. 1,68,20,123/-	रु. 1,56,73,000/-

नोट :- (1) उक्त तकनीकी स्वीकृति निकाय की मांग एवं कार्य स्वीकृति की तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत आफलाईन इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त तकनीकी स्वीकृति ऑनलाईन पोर्टल पर 07 दिवस के भीतर अपलोड कर ऑनलाईन तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे। अन्यथा की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित यंत्री स्वतः उत्तरदायी होंगे।

(2) निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिजाईन कराई जाकर अनुमोदन पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित करें।

- यह तकनीकी स्वीकृति म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत बनाये गये लेखा नियम 1971 के नियम 132 (3) के खण्ड (1) के अधीन इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तृत प्राक्कलन एवं वर्किंग ड्राईंग का अनुमोदन इस कार्यालय से कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कराए जाए।
- तकनीकी स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन के प्रचलित आई.एस.एस.आर. प्रभावशील दिनांक 10/05/2012 के आधार पर दी गई है।
- मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 1971 के नियम 131 (3) के खण्ड (2) के तहत प्रशासकीय स्वीकृति एवं नियम (5) के तहत वित्तीय स्वीकृति लिया जाना सुनिश्चित करें। कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किया जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म०प्र०न०पा०लो०नि० 1961 नियम के प्रावधिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा।
- तकनीकी स्वीकृति यह मानकर अनुमोदित की जा रही है कि, स्थल निकाय स्वामित्व का होकर निर्विवादित है, एवं कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/मद से संपादित नहीं किया गया है। तथ्यों को छुपाकर, निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जावेगी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी/परिषद इस हेतु पूर्णतः जबाबदार रहेंगे।

5. कार्य स्थल पर संबंधित निर्माण कार्य का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जावे, साथ ही कार्य प्रारंभ के कार्य समाप्ति पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफ तैयार कराये जावें।
6. आई.एस.एस.आर. एवं विभागीय स्पेशिफिकेशन, एम.ओ.एस.टी. एवं पी.डब्ल्यू.डी. वर्क्स मनुअल, आई.सी.एस.ओ. एवं आई.ओ.आर.सी.ओ. कोड, सी.पी.एच.ई.ई.ओ. (CPHEEO) मनुअल के प्रावधानों का पालन करना होगा।
7. अंतिम देयक भुगतान के पूर्व निकाय हित में इस कार्यालय से देयक का परीक्षण कराया जावें। प्रत्येक देयक से 10 प्रतिशत राशि निरीक्षण हेतु रोकी जावे तथा उसका समायोजन अंतिम देयक के साथ किया जावे।
8. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागों से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे तथा भूमि स्वामित्व हेतु नजूल तथा अन्य विभागों से सक्षम अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
9. प्राप्त निविदा/कोटेशन की दरों की तुलना निकाय के क्षेत्र अथवा नजदीकी लोक निर्माण विभाग/गृह निर्माण विभाग/ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/लोक स्था. यांत्रिकी विभाग के समान कार्यों की वर्तमान प्रचलित दरों से तुलना की जाकर, निविदा समिति के स्पष्ट अभिमत के साथ पारित प्रस्ताव पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने स्पष्ट मत अंकन कर, नियमानुसार पी.आई.सी./परिषद से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
10. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
11. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
12. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
13. दुकान निर्माण/भवन/पानी की टंकी निर्माण कार्यों में अनिवार्य रूप से मृदा परीक्षण कराने उपरांत स्ट्रक्चरल डिजाईन इंजीनियरिंग कालेज अथवा मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कराकर इस कार्यालय से अनुमोदन कराना होगा।
14. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग करना होगा। निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी का होगा।
15. निविदा दर स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को जिले के श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत आवेदन प्रारूप-05 तत्काल जमा कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार से उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
16. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।



अधीक्षण यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
जबलपुर संभाग जबलपुर

नगर पालिका प्रशासक, सिवनी, जिला- सिवनी (म०प्र०) की बैठक
दिनांक 30/12/2020

संकल्प क्रमांक- 61

निर्णय

मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म०प्र. भोपाल को पत्र क्रमांक/11867/यां प्र/07-5/2020 भोपाल दिनांक 24/12/2020 के अनुसार दलसागर तालाब के टापू के लिये एप्रोज फुट ब्रिज के निर्माण कार्य कराये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति बाबद विचार एवं निर्णय ।
(अनुमानित लागत-1.68,20,123/- रु.)

प्रकरण प्रस्तुत । नरती का अवलोकन किया गया । मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म०प्र. भोपाल को पत्र क्रमांक/11867/यां प्र/07-5/2020 भोपाल दिनांक 24/12/2020 के अनुसार नगरीय क्षेत्रान्तर्गत दलसागर तालाब के टापू के लिये एप्रोज फुट ब्रिज के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कलेक्टर सिवनी को पत्र क्रमांक/3397 दिनांक 02/12/2020 के संदर्भ में डी.पी.आर. तैयार कर विधिवत प्रस्ताव के साथ सभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर की अनुशंसा सहित संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म०प्र. भोपाल को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है । अतः तैयार डी.पी.आर. अनुसार शशि-1,68,20,123/- रुपये के कार्य को शासन से अनुदान शशि प्राप्त होने की शर्त पर कार्य को कराये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है । विधिवत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर शासन की ओर स्वीकृति हेतु भेजे जाने की अनुशंसा की जाती है । मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही करें ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
सिवनी (म०प्र०)

प्रशासक,
नगर पालिका परिषद,
सिवनी (म०प्र०)

कार्यालय नगरपालिका प्रशासन, सिवनी (म0प्र0)
आठवीं ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सिवनी, दिनांक 20/01/2023

5044/न.पा.प./2023

म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग में कर्तव्य पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नगरीय प्रशासन एवं विकास नोपाल को आईएसआर 10 मई 2012 का दर अनुसूची के अनुसार पर निविदाय प्रतिफल दर पर ऑनलाईन आवेदन की जाती है। ई-टेंडर डाक्यूमेंट ऑनलाईन पोर्टल <https://mptenders.gov.in> में निर्धारित शुल्क भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। निविदाय टेन्डर की निर्धारित तिथि (बी-डेट) को अनुसार खोली जावेगी।

कार्यों का विवरण

क्र	ई-टेंडर क्रमांक	प्रस्तावित निर्माण कार्य का नाम	कार्य की लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य पूरा करने की अवधि	ई-टेंडर की शर्तें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2023_DAD_248170	दलसागर तालाब टापू का सौंदर्यीकरण एवं फुट ब्रिज निर्माण कार्य	13993998	140000	12500	6 मही	Guidelines for Bidding Documents

नोट :-

1. इच्छुक निविदाकार निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in/ पर देख सकते हैं।
2. ऑनलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 01/02/2023 प्रातः 10:30 से दिनांक 03/03/2023 सायं 5:30 बजे तक प्रत्येक दिन उपलब्ध रहेगा।
3. ऑन लाईन बिड सबमिशन दिनांक 01/02/2023 प्रातः 10:30 से दिनांक 03/03/2023 सायं 5:30 तक जमा कर सकते हैं।
4. ऑन लाईन निविदा दिनांक 06/03/2023 को खोली जावेगी।
5. निविदा में अमानत राशि का भुगतान ऑनलाईन ही मान्य होगा।

(श्री शफीक खान)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद सिवनी

(श्रीमति डा. अमोरी)
उपाध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद सिवनी

(श्रीमति आकांक्षा शीवू रॉय)
सहायिका, लोक निर्माण उद्यान
विद्युत एवं यांत्रिकी समिति
नगर पालिका परिषद सिवनी

(पूजा कुन्वर)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, सिवनी

नियम एवं शर्तें :-

1. वर्तमान आयकर एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. टापू का सौंदर्यीकरण एवं फुट ब्रिज का निर्माण दल सागर तालाब के अंदर पाईल फाउन्डेशन/स्ट्रक्चर निर्माण का कार्य किया जावेगा। निकाय द्वारा फुट ब्रिज निर्माण के समय दलसागर तालाब के पानी की निकासी कर दी जावेगी। अर्थात् तालाब में पानी नहीं रहेगा।
3. निविदा में अमानत राशि का भुगतान ऑनलाईन ही मान्य होगा। प्रथम लिफाफा (Envelope-A) निर्धारित अमानत राशि की ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन रिसीप NEFT/RTGS प्रति, पेन, ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, 100 रु. के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में एफिडेविट, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. ठेकेदार का ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
5. ठेकेदार की निविदा दर स्वीकृति के उपरांत अनुबंध सम्पादित करने के उपरांत ही कार्यदिश दिया जावेगा।
6. सूची में वर्णित निर्माण कार्यों के प्रत्येक निर्माण कार्यों की निविदा वैधता अवधि 120 दिवस रहेगी।
7. नगर पालिका के स्पेशलिफिकेशन तथा आवश्यकता अनुसार लोक निर्माण विभाग के मेनुअल का पालन करना होगा।
8. निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/शासन के समस्त नियमों एवं निविदा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। दर स्वीकृति उपरांत अनुबंध विधादन के पूर्व 5 प्रतिशत अमानत राशि की एकडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार के बिल में से 5 प्रतिशत सुरक्षा निधि 1 प्रतिशत श्रमउपकर एवं 2 प्रतिशत टीडीएस (जीएसटी) की कटौती की जावेगी।
9. निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त ये सभी नियम शर्तें/आदेश/निर्देश लागू होंगे जो इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हों एवं भविष्य में जारी होंगे तथा वे शर्तें/नियम लागू होंगी, जो इतिवश इस निविदा में जारी करते समय छूट गई हों।
10. निविदा में जो भी संशोधन होगा वह ऑनलाईन किया जावेगा। समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
11. समस्त मटेरियल तथा कांक्रिट की प्रयोगशाला परीक्षण उपरांत ही चर्चित देयक का भुगतान किया जावेगा। कांक्रिट का प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय की प्रयोगशाला को प्रस्तुत करनी होगी।

टीप :- उपरोक्तानुसार वीजा स्थायी से निविदा अड्डा ई-निविदा आमंत्रण का प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

- 12. निर्माण कार्य पूर्ण होने के 5 वर्ष पर्यंत ठेकेदार को द्वारा जमा अग्रिम राशि एवं वेतन से काटी गई सूचना भिन्न करवा दी जायेगी ।
- 13. लागत राशि में कम का अंशक निविदा प्राप्त होने पर निविदा दर जोड़ने का जो बिल राशि प्राप्त होगी उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी राशि पूर्वक से ठेकेदार को मुआवजा दिया जायेगा ।
- 14. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्ट्रक्चर की सुरक्षा डिजाईन को अनुमोदन सामग्रीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय से कमान का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा । जिसका समस्त मुआवजा ठेकेदार द्वारा किया जायेगा ।


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
 नगर पालिका परिषद, सिवनी

सू. क्रमांक / 5745 / न.पा.प. / 2023

सिवनी, दिनांक / 30/01/2023

प्रतिलिपि -

1. मान्य अध्यक्ष / उपमहासह महासचिव न.पा.प. सिवनी को और सूचनाार्थ प्रेषित ।
2. कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर को भेजकर लेख है कि, अपने आवागमन नगरीय निकायों को सूचित किया जाने हेतु ।
3. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र की ओर सूचनाार्थ।
निविदा सूचना कम से कम स्थान पर अपने दैनिक समाचार पत्र में निविदा दिनांक पूर्ण एक दिन के लिये प्रकाशित कर बिल मुआवजा के लिये प्रस्तुत करें एवं बिल को साथ केंद्र / राज्य स्तर के द्वारा स्वीकृत कर की सूची भी प्रस्तुत करें ।
4. कार्यालय कलेक्टर, नगर पालिका परिषद सिवनी / राज्य कार्यालय, न.पा.प. / लोक निर्माण विभाग सिवनी के सूचना प्रकाश पर बतया हेतु ।


समाप्त महोदय


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
 नगर पालिका परिषद, सिवनी



01-02-23

- ① दैनिक समाचार जबलपुर
- ② पत्रिका जबलपुर
- ③ द. रित चार


 01/02/23

REGIONAL OFFICE
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. :455,456,,Vijaynagar, Jabalpur (M.P.)
LIQUID SAMPLE ANALYSIS REPORT

Fax & Ph. 4042780

Annexure-5

Sample from :- Dal Sagar Talab Seoni (M.P.)

Sample details :- Talab Water

Date of Collection :- 29/11/2023

Analysis No. 96/1123

Bill No.

Dt.

Date of Receipt :- 29/11/2023

Date of Analysis :- 29/11/2023

Sample collected by :- Mahesh Puraiya (JS)

Analysed by :- Mahesh Puraiya (JS)

Sr.No	Parameters	Unit	Result I	Result II	Result III	Result IV
A - PHYSICAL PARAMETERS						
1.	Temperature	^o C	—			
2.	Turbidity	N.T.U.	3			
3.	Colour	-	colourless			
4.	Odour	-	—			
5.	Specific Conductivity	µmho/cm	377			
B - CHEMICAL PARAMETERS						
6.	pH	-	7.51			
7.	Total Alkalinity	mg / l	68.0			
8.	Total Hardness (as CaCO ₃)	mg / l	146.0			
9.	Calcium Hardness (as CaCO ₃)	mg / l	104.0			
10.	Magnesium Hardness (as CaCO ₃)	mg / l	42.0			
11.	Chloride	mg / l	32.0			
12.	Total Solids	mg / l	378.0			
13.	Dissolved Solids	mg / l	320.0			
14.	Suspended Solids	mg / l	58.0			
15.	Ammonical Nitrogen (as N)	mg / l	0.46			
16.	Nitrite Nitrogen (as NO ₂)	mg / l	0.28			
17.	Nitrate Nitrogen (NH ₃)	mg / l	2.2			
18.	Total Kjeldahl Nitrogen (as N)	mg / l	—			
19.	Fluoride	mg / l	—			
20.	Dissolved Oxygen	mg / l	5.8			
21.	B.O.D. (3 days, 27 ^o C)	mg / l	4.4			
22.	C.O.D.	mg / l	30.0			
23.	Oil & Grease	mg / l	—			
24.	Phosphate (as P)	mg / l	BDL			
25.	Sulphate (as SO ₄)	mg / l	10.0			
C - BIOLOGICAL PARAMETERS						
33.	Total Coliform	MPN/100ml	—			
34.	Feacal Coliform	MPN/100ml	—			
D - ANY OTHER TEST						
35.	Calcium (as Ca)					
36.	Magnesium (as Mg)					

INDICATION : PARAMETER DOES NOT CONFIRM TO :-

- Standard prescribed by M.P.P.C.B. in M.P. Gazette notification, dated 25/03/1988
2. IS: 10500-1991 (Specification for Drinking Water)
3. Standard prescribed in Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules 1988

GENERAL MARKS :- BDL = Below Detectable Limit

NOTE :- No statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.

Mahesh
Analyst

Anu
Lab Incharge

M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No. :455,456,,Vijaynagar, Jabalpur (M.P.)
LIQUID SAMPLE ANALYSIS REPORT

Sample from :- Nala water Sconi (M.P.)

Sample details :- Nala Water near rain basera

Date of Collection :- 29/11/2023

Analysis No. 97/1123

Bill No.

Dt.

Date of Receipt :- 29/11/2023

Date of Analysis :- 29/11/2023

Sample collected by :- Mahesh Puraiya (JS)

Analysed by :- Mahesh Puraiya (JS)

Sr.No	Parameters	Unit	Result I	Result II	Result III	Result IV
A - PHYSICAL PARAMETERS						
1.	Temperature	⁰ C				
2.	Turbidity	N.T.U.				
3.	Colour	-				
4.	Odour	-				
5.	Specific Conductivity	µmho/cm				
B - CHEMICAL PARAMETERS						
6.	pH	-	7.29			
7.	Total Alkalinity	mg / l				
8.	Total Hardness (as CaCO ₃)	mg / l				
9.	Calcium Hardness (as CaCO ₃)	mg / l				
10.	Magnesium Hardness (as CaCO ₃)	mg / l				
11.	Chloride	mg / l	182.0			
12.	Total Solids	mg / l	692.0			
13.	Dissolved Solids	mg / l	584.0			
14.	Suspended Solids	mg / l	108.0			
15.	Ammonical Nitrogen (as N)	mg / l				
16.	Nitrite Nitrogen (as NO ₂)	mg / l				
17.	Nitrate Nitrogen (NH ₃)	mg / l				
18.	Total Kjeldahl Nitrogen (as N)	mg / l				
19.	Fluoride	mg / l				
20.	Dissolved Oxygen	mg / l				
21.	B.O.D. (3 days, 27 ⁰ C)	mg / l	34.0			
22.	C.O.D.	mg / l	160.0			
23.	Oil & Grease	mg / l				
24.	Phosphate (as P)	mg / l				
25.	Sulphate (as SO ₄)	mg / l				
C - BIOLOGICAL PARAMETERS						
33.	Total Coliform	MPN/100ml				
34.	Feecal Coliform	MPN/100ml				
D - ANY OTHER TEST						
35.	Calcium (as Ca)					
36.	Magneshium (as Mg)					

INDICATION : PARAMETER DOES NOT CONFIRM TO :-1. Standard prescribed by M.P.P.C.B.in M.P.Gazette notification, dated 25/03/1988

2. IS: 10500-1991 (Specification for Drinking Water)

3. Standard prescribed in Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules 1988

GENERAL MARKS :- BDL = Below Detectable Limit

NOTE :- No statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.

Mahesh
Analyst

Anil
Lab Incharge



Registered

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD Annexure-6

Scheme No. 05 Plot No. 455/456, Vijay Nagar, Jabalpur
Phone (0761)-4042780, E-mail: romppcbjbp@rediffmail.com

Jabalpur
Bhopal, Date: 24/11/2023

No. 2331/ROPCB/2023

To,

The Chief Municipal Officer
Nagar Palika Seoni
Dist.- Seoni

Sub-Imposing Environmental Compensation for period 01/01/2022 to 31/10/2023 due to violation of directions of the Hon'ble NGT and the provision of Solid Waste Management Rules 2016 U/s 5 of Environment (Protection) Act 1986 Notice Thereof.

Ref- 1- NGT orders dated 25/02/2020, 28/02/2020 & 14/12/2020 in OA No. 606/2018 "Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules 2016"

2-Head office order No. 198/Legal/PCB/2023 Bhopal dated 11/08/2023

3-Hon'ble NGT Case No. 154/2023 order dated 20/10/2023

WHEREAS, MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws prevailing in the state.

WHEREAS the M.P. Pollution Control Board Bhopal has authorized to Regional Officer, MPPCB vide Office Order No. 198 Dated 11/08/2023 for imposing Environmental Compensation.

WHEREAS, you are the Nagar Palika Parishad and it is the mandatory duty of Urban Local Bodies/Cantonment Board to comply with the Solid Waste Management Rules 2016 as well management & treatment of sewage of the town & to protect the natural water bodies from pollution as per provision of Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974

WHEREAS you are discharging untreated sewage from town into Wainganga River which is violation of section 24 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974.

WHEREAS you have not obtained authorization as per the provision of Solid waste Management Rules 2016 from the MPPCB.

WHEREAS during inspection dated 23.11.2023, it was found that one drain has been temporarily diverted into the Dal Sagar Lake since July 2023, as Diversion work of drains is in progress.

WHEREAS in OA No. 606/2018 "Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules 2016" and other environment issues. Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench New Delhi has directed on 17/01/2020 & 25/02/2020 that -



MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Scheme No. 05 Plot No. 455/456, Vijay Nagar, Jabalpur

Phone (0761)-4042780, E-mail: romppcbjbp@rediffmail.com

- 1- After 31/03/2020 failure to comply with Rules 22 of SWM Rules from serial No. 1 to 10 every local body shall be liable to pay compensation at the rate of Rs. 10 Lakh per month per local body for population at between 5 lakh and 10 Lakh and Rs. 1 Lakh Per month per other local body from 01/04/2020 till compliance.
- 2- Continued failure of every local body on the subject of commencing the work of legacy waste sites remediation from 01/04/2020 till compliance will result in liability to pay compensation at the rate of Rs. 10 Lakh per month local body for population of above 10 Lakha and 1 Lakh per month per other local body.
- 3- Commencement of settling up to STPs by 31/03/2020- compensation in payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 Lakh per month per STP by concerned local bodies/State (in terms of orders dated 28/08/2019 in OA No. 593/2017 and 06/12/2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01/04/2021
- 4- Commencement of settling up to STPs by 31/03/2021- compensation in payable for failure to do so at the rate of Rs. 10 Lakh per month per STP by concerned local bodies/State (in terms of orders dated 28/08/2019 in OA No. 593/2017 and 06/12/2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01/04/2021
- 5- Interims measures for phytoremediation/bioremediation etc. in respect of 100% sewage to reduce the pollution load on recipient water bodies shall be undertaken by 31/03/2020. Compensation in payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 Lakh per month per drain by concerned local bodies/State (in terms of orders dated 28/08/2019 in OA No. 593/2017 and 06/12/2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01/04/2020)

WHEREAS State PCB has been directed by NGT vide order dated 28/02/2020 to assess and recover the amount of compensation liable to be paid by the Urban Local Bodies on the basis of above criteria.

WHEREAS NGT vide its order dated 14/12/2020 has extended the time line for levy of compensation from 01/04/2020 to 01/07/2020.

And where as Hon'ble NGT vide its order dated 10/01/2020 has directed in Para 36 (a) that "if the local bodies are unable to bear financial burden, the liability will be of the State Government with liberty to take remedial action against the erring local bodies"

WHEREAS there is no change in ground reality as observed during inspection done by our officer's time to time in past.

WHEREAS as per report of the site inspection dated 23/11/2023 carried by the MPPCB you have not complied with the tasks and timelines given by Hon'ble NGT therefore you are liable to pay environmental compensation for the period of 01/01/2022 to 31/10/2023 for two drains meeting into River Wainganga and for the period of 01/07/2023 to 31/10/2023 for the one drain meeting into Dal Sagar Lake respectively Details of the EC imposed by Board are as follow: -

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Scheme No. 05 Plot No. 455/456, Vijay Nagar, Jabalpur

Phone (0761)-4042780, E-mail: romppcbjbp@rediffmail.com

Non-Compliance								
ULB Name	District	Rules 22 of SWM Rules 2016		Bioremediation of Drains		Commencement of STP installation		Total Rs In lakh
		S No of non-compliance	Compensation (Rs. In Lakh)	No of Drain	Compensation in Rs	No of STPs	Compensation (Rs. In Lakh)	
Seoni	Seoni	2.4.10	NA	02 1)Moti Nala meeting into Wainganga River 2)Mudra Nala meeting into Wainganga River	NA	02	440	480
Seoni	Seoni	2.4.10	NA	01 Drain meeting into Dal Sagar Lake (from July 2023)	NA	01	40	

You are hereby given an opportunity of 15 days to submit your reply/objection (if any) pertaining to above stated on non-compliance and deposition of the levied environmental compensation amount for the period of 01/01/2022 to 31/10/2023 and 01/07/2023 to 31/10/2023 respectively.

In case, if no reply is received within 15 days from the date of issue of this notice, above proposed environmental compensation shall be confirmed and action is also liable to be initiated against the responsible officers under section-17 of the Environmental (Protection) Act 1986

For and on behalf of MPPCB


(Alok Kumar Jain)
Regional Officer

Jabalpur, Date: / /

Endt.No.:- /HOPCB/2023

Copy to:-

- 1- Member Secretary, M.P. Pollution Control Board Bhopal for information.
- 2- The District Collector, Seoni for information and necessary action
- 3- Direction (Environment) Legal Section, M.P. Pollution Control Board Bhopal for information

(Alok Kumar Jain)
Regional Officer

Photographs of Dal Sagar Talab in compliance of order dated 20/10/2023 issued by Hon'ble National Green Tribunal in the matter of O.A No. 154/2023 (CZ)



Pic: Foot Over Bridge



Pic: Local Nala Meeting into Dal Lake



3GQX+892, Sindhi Colony, Seoni, Madhya Pradesh
480661, India

Latitude	Longitude
22.088341666666665°	79.54833°
Local 15:37:47	Altitude 615 m
GMT 10:07:47	Wednesday, 29.11.2023



3GQX+892, Sindhi Colony, Seoni, Madhya Pradesh
480661, India

Latitude	Longitude
22.088344999999997°	79.54836166666668°
Local 15:36:18	Altitude 615 m
GMT 10:06:18	Wednesday, 29.11.2023



Pic: Statue of Raja Dalpath Sah



Pic: C.C. Base for Statue of Raja Dalpath Shah